FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सी

जगदीश .... बनाम .... प्रभुदयाल

किस्म मुकदमा .... धारा .... नं. .... सन् ....

49/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
21-6-23	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी उप. [illegible] अधिकारी दौरे [illegible] से [illegible] है। पत्रावली आवश्यक कार्यवाही हेतु दिनांक 21-8-23 को पेश हो। [signature]
मुनादी 06.07.2023 P.D. F.D. करें, की जावे तो कोई आपत्ति नहीं है। [signature] डिकेश कुमार शर्मा एड. (वकील वादीगण) [signature] (जितेन्द्र सिंह एड.) वकील प्रतिवादी	वकील वादीगण के प्रार्थना पत्र बाबत मिसल तलबी का पेश करने पर पत्रावली आगामी पेशी 21.08.2023 से पूर्व तलब होकर आज पेश हुई। वकील वादीगण ने उपस्थित होकर न्यायालय द्वारा जारी प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव से सहमत होते हुए प्रकरण में अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। जिस पर प्रकरण में उपस्थित वकील प्रतिवादीगण श्री जितेन्द्र सिंह एड0 ने प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर व्यक्त किया। अतः वकील प्रतिवादीगण की अनापत्ति के आधार पर वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र पर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् बहुपक्षीय सुनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.27 10:48:42 IST
Reason: SelfAttested

— लगातार —

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	गई। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट मय विभाजन प्रस्ताव को अंतिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 06/07/22 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.27 10:18:42 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
49/2022	2022/0124	05.05.2022	06.07.2023 (अन्तिम डिक्री)

उनवान प्रकरण

1. जगदीश पुत्र भूराराम उम्र 71 साल
2. गिरधारी पुत्र भूराराम उम्र 63 साल

जाति खाती निवासी कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

—— वादीगण——

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

बनाम

1. सुवालाल पुत्र भूराराम उम्र 73 साल
2. बाबुलाल पुत्र भूराराम उम्र 68 साल
3. रविप्रकाश उम्र 33 साल
4. विजयपाल उम्र 27 साल

   पुत्रीगण स्वर्गीय मंजू पत्नी गिरधारीलाल

5. सोनू उम्र 38 साल
6. निशा उम्र 36 साल
7. पूनम उम्र 35 साल
8. ज्योति उम्र 25 साल पुत्रीयां स्वर्गीय मंजू पत्नी गि[illegible]

   जाति खाती निवासी कल्याणपुरा [illegible]

9. गोपाल पुत्र भूराराम जाति जाट उम्र 48 साल निवासी कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.27 10:18:42 IST
Reason: SelfAttested

06/07/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

10 भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर

11 मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक शाखा श्रीमाधोपुर जिला सीकर

12 मैनेजर सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा श्रीमाधोपुर

—प्रतिवादीगण—

उपस्थित :-

श्री सुरेश कुमार लांबा, एड0 वादीगण अभिभाषक।

श्री जितेन्द्र सिंह शेखावत, एड. प्रतिवादी संख्या 1 से 8 की ओर से।

श्री कमलेश कुमार शर्मा–प्रथम, एड. प्रतिवादी संख्या 12 की ओर से।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 10 की ओर से

दावा बाबत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

अंतर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधि0

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 27/2 रकबा 2.33 हैक्टर तन ग्राम खनीपुरा पटवार हल्का हांसपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित होकर वादी संख्या–1 हिस्सा 1/4 एवं वादी संख्या–2 हिस्सा 69/476 का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है एवं बाकी हिस्सा की खातेदारी भू–अभिलेख जमाबंदी में दर्ज एवं बाकी हिस्सा की खातेदारी भू–अभिलेख जमाबंदी में दर्ज हिस्सानुसार प्रतिवादी संख्या–1 ता 2 एवं प्रतिवादी संख्या–9 एवं प्रतिवादी संख्या–3 ता 8 की माता मृत्तका मंजू पत्नी गिरधारीलाल के नाम दर्ज हैं। उक्त वादग्रस्त वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि हैं। जिसका मौके [illegible] पक्षका[illegible] ने हक हिस्सा खातेदारी अनुसार बाहमी बंटवारा करके अलग अलग [illegible] है एवं सीव डोल कायम कर रखी है। इसलिए वादीगण भूमि का मौके के कब्जा काश्त व हक हिस्सा खातेदारी अनुसार विधिक तकास्मा करवाने के अधिकारी है एवं प्रतिवादीगण को वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.27 10:18:42 IST
Reason: SelfAttested

06/07/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

की भूमि के कब्जा काश्त में मजाहमत करने का कोई अधिकार किसी किस्म का नहीं है। इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को भूमि का मौके के कब्जा काश्त व बाहमी बंटवारा एवं हक हिस्सा खातेदारी अनुसार विधिक विभाजन करवाने एवं भूमि की सींव नींव सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाकर अलग अलग खातेदारी राजस्व रिकार्ड जमाबंदी व राजस्व नक्शा में दर्ज करवाने हेतु कहा तो पहले तो आश्वासन देते रहे परंतु दिनांक 25.04.2022 को इंकार हो गए है। इसलिए माननीय अदालत में बिनाय ए दावा पैदा होकर दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 27/2 रकबा 2.33 हैक्टर तन ग्राम खनीपुरा पटवार हल्का हांसपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 का पक्षकारान वादीगण व प्रतिवादी संख्या–1 ता 9 के मध्य मौके के कब्जा काश्त एवं बाहमी बंटवारा व हक हिस्सा खातेदारी अनुसार विधिक तकास्मा बाई मीटस एण्ड बाउण्डस करवाया जाकर सींव नींव कायम करवायी जाकर एवं सीमाज्ञान व पत्थरगढी मौके पर करवायी जाकर पक्षकारान वादीगण व प्रतिवादी संख्या–1 ता 9 को अलग–अलग राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शा ट्रेस में खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाकर अलग से लगान कायम कियें जाने का निवेदन वादीगण ने अपने वादपत्र में किया है। इसलिए वाद वास्ते तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

इस पर वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक सम्मन नोटिस तलब किया गया। जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 की ओर से श्री जितेन्द्र सिंह शेखावत एड0 एंव प्रतिवादी संख्या 12 की ओर से श्री कमलेश कुमार शर्मा प्रथम एड0 ने उपस्थित होकर वकालतनामे पेश किये गये एंव जवाब दावा पेश करने हेतु अवसर चाहा गया। प्रतिवादीगण संख्या 9 ता 11 की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से हो चुकी है [illegible] तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादीगण नम्बर 9 से 11 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई है। प्रकरण में वकील वादीगण व वकील प्रतिवादी संख्या 1 से 8 ने वादग्रस्त आराजी भूमियों का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार वादीगण एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9 के मध्य विधिक विभाजन करवाया जाकर रास्ते की सुविधा उपलब्ध कराते हुए

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.27 10:18:42 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

अलग बट्टा नम्बर डालकर वादीगण व प्रतिवादीगण का राजस्व रिकार्ड अलग बनाया जाकर अलग से लगान कायम करते हुए अलग अलग शीट कायम कर नक्शे में तरमीम करवाये जाने हेतु विधिक विभाजन प्रस्ताव मँगवाये जाने बाबत अपनी-अपनी सहमति व्यक्त करते हुए पत्रावली की आदेशिका पर हस्ताक्षर अंकित करते हुए प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया है। वकुलाय उभय पक्षकारान् के निवेदन एंव प्रारम्भिक डिक्री पर सहमति व्यक्त कर दिये जाने से प्रकरण में विधिक विभाजन प्रस्ताव मँगवाये जाने हेतु न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 13.10.2022 को जारी की जाकर पालना हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को जरिये पत्रांक 2972/रीडर/2022 दिनांक 15.12.2022 के द्वारा भिजवाई गई।

प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 15.12.2022 को जारी की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम– 18 से 21 के अनुसार एंव राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/न्याया/स्था/प–51/2008/विविध 10346 दिनांक 05.10.2020 में वर्णित दिषा निर्देशानुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर जरिये पत्रांक 2972/रीडर/2022 दिनांक 15.12.2022 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट अलग–अलग रंगों में तैयार कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई थी। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के जरिये पत्रांक 1029/भू.अ./2022 दिनांक 26.06.2023 के द्वारा प्राप्त हुये। जो शामिल पत्रावली संलग्न है।

वकील वादीगण ने प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात [illegible] प्राप्त हो जाने [illegible] कुर्रेजात रिपोर्ट से वकील वादीगण ने सहमत होते हुए उसके अनुसार [illegible]त्र में आज ही बहस सुनी जाकर प्रकरण में अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। वकील वादीगण ने प्रारम्भिक डिक्री की पालना मे प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव मे अंकित विवरणानुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.27 10:18:42 IST
Reason: SelfAttested

06/07/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

प्राप्त विभाजन प्रस्ताव से सहमत होते हुए प्रकरण में अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। जिस पर उपस्थित वकील प्रतिवादीगण श्री जितेन्द्र सिंह शेखावत एड0 ने प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव से सहमति व्यक्त करते हुए प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया। अतः वकील वादीगण व पक्षकारान की सहमति एव वकील प्रतिवादीगण की अनापत्ति के आधार पर प्रकरण के बंटवारा से सम्बन्धित होने से अन्तिम डिक्री जारी किया जाना न्यायहित में उचित समझता हूं।

:: क्रियात्मक आदेश :–

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत तकासमा एंव स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है। इस प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुए बंटवारा अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार दिनांक 26.06.2023 में वर्णित विधिक विभाजन प्रस्ताव, नजरी नक्शा ट्रेस के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता हैः–

08/07/23

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.27 10:18:42 IST
Reason: SelfAttested